प्रेस नोट दिनांक 07.10.2024

थाना चकिया, जनपद चन्दौली

थाना चकिया पुलिस टीम द्वारा चेकिंग अभियान के दौरान 13 लीटर अवैध देशी शराब के साथ 02 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशानुसार जनपद मे शराब व गौ तस्करी करने वाले गिरोह के विरूद्ध कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में अनिल कुमार यादव अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन, व राजीव कुमार सिसोदिया क्षेत्राधिकारी चकिया के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चकिया अतुल कुमार प्रजापति के कुशल नेतत्व में तस्करों के विरूद्ध चलाये जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर चकिया पुलिस टीम द्वारा दिनांक 06.10.2024 को खरौझा मोड़ के पास से अभियुक्त 1. निहाल कुमार पुत्र गुड्डू खरवार निवासी मच्छरहटा थाना दुर्गावती कैमूर भभुआ बिहार हाल पता हाटा थाना चैनपुर कैमूर भभुआ बिहार को 7.2 लीटर अवैध देशी शराब के साथ तथा अभियुक्त पंकज कुमार पुत्र रामायण गौड़ निवासी हाटा थाना चैनपुर जनपद कैमूर भभुआ बिहार को खरौझा नहर पुल के पास से 05 लीटर अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तारी/बरामदगी की गयी । गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर क्रमशः मु.अ.सं. 176/2024 व मु0अ0सं0 177/24 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-

अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर बताया गया कि बिहार राज्य में शराब बंदी लागू होने के कारण हम लोग शराब खरीदकर बिहार में ले जाकर अधिक किमत पर बेंचते है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त-

1.निहाल कुमार पुत्र गुड्डू खरवार निवासी मच्छरहटा थाना दुर्गावती कैमूर भभुआ बिहार हाल पता हाटा थाना चैनपुर कैमूर भभुआ बिहार

2.पंकज कुमार पुत्र रामायण गौड़ निवासी हाटा थाना चैनपुर जनपद कैमूर भभुआ बिहार

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त निहाल-

1. मु.अ.सं. 0176/2024 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना चकिया जनपद चन्दौली।

अभियुक्त पंकज कुमार-

1. मु.अ.सं. 0177/2024 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना चकिया जनपद चन्दौली।

बरामदगी का विवरण-

1.13 लीटर अवैध देशी शराब

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. थानाध्यक्ष अतुल कुमार थाना चकिया जनपद चन्दौली।
2. उ0नि0 परमानन्द त्रिपाठी थाना चकिया जनपद चन्दौली।
3. उ0नि0 हरेन्द्र यादव थाना चकिया जनपद चन्दौली ।
4. हे0का0 नन्दलाल सरोज थाना चकिया जनपद चन्दौली।
5. का0 प्रभात यादव थाना चकिया जनपद चन्दौली।

प्रेस नोट दिनांक: 07.10.2024

थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली

थाना मुगलसराय पुलिस एन्टी रोमियो टीम द्वारा चोरी की योजना बना रही 05 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा जनपद में अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिह व क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर आशुतोष के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मुगलसराय विजय बहादुर सिंह के कुशल नेतृत्व में मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर महिला पुलिस टीम द्वारा उचक्का गिरी करने वाली पांच महिलाए व एक बाल अपचारी को साहूपूरी मोड़ से गिरफ्तार किया गया व एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। गिरफ्तारी के आधार पर थाना मुगलसराय पर मु0अ0सं0 415/2024 धारा 313 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है।

पुलिस कार्यवाही- दिनांक 06.10.2024 को उ0नि0 अभिषेक शुक्ला मय हमराह देखभाल क्षेत्र में मौजूद थे कि जरिये मुखबीर से सूचना मिली कि पाँच महिलाए व एक बाल अपचारी जो साहूपूरी मोड़ पर वाहन के इन्तजार में खड़ी होकर उचक्का गिरी, सवारी वाहन मे बैठी अन्य महिलाओ को उलझाकर चोरी करने की योजना बना रही है। मुखबीर से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम व एन्टी रोमियो टीम को साथ लेकर अपने अपने वाहनो से अलग अलग दिशा मे मुखबीर के बताये हुये स्थान पर पहुंची तो एक स्थान पाँच महिलाये व एक बच्ची एक गुट बनाकर खड़ी थी अचानक पुलिस टीम को देखकर पाँचों महिलाए घबड़ाकर भागने लगी तत्पश्चात महिला पुलिस टीम द्वारा घेरबंदी कर पकड़ लिया गया। पूछताछ के दौरान पाँचो महिलाओ की पहचान क्रमशः 1.गुड्डी पत्नी विशाल हरिजन निवासी ग्राम लक्ष्मीपुर थाना बढ़हलगंज जनपद गोरखपुर उम्र करीब 25 वर्ष के पास से 300 रुपया बरामद हुआ। 2.अमृता पत्नी अरुण हरिजन निवासी ग्राम मनिकापुर थाना घोसी जनपद मऊ उम्र करीब 20 वर्ष के पास से 410 रुपया बरामद हुआ। 3.आरती पत्नी अजीत हरिजन निवासी ग्राम मनिकापुर थाना घोषी जनपद मऊ उम्र करीब 20 वर्ष के पास से 210 रुपया बरामद हुआ। 4.चांदनी पत्नी रवि निवासी बेलपार थाना सलेमपुर जनपद देवरिया उम्म्र 25 वर्ष व 5. मंजू पत्नी पिन्टू निवासी बेलपार थाना सलेमपुर जनपद देवरिया उम्र 40 वर्ष के पास से 310 रुपया बरामद हुआ। के साथ बाल अपचारी के पास से 220 रुपया बरामद हुआ। गिरफ्तारी के आधार पर थाना मुगलसराय पर आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है।

पूछताछ-पूछताछ के दौरान महिलाओ द्वारा संयुक्त रुप से बताया गया कि हम लोग भीड़-भाड़ से पर्स जेब व आटो एवं टोटो मे बैठी महिलाओ को बातो में उलझाकर उनके पैस निकाल लेते है। त्यौहार का समय चल रहा है इसीलिए भीड़-भाड़ वाले मंदिर अथवा बाजारो मे जाकर चोरी करने की योजना बना रहे थे कि आप लोगो द्वारा पकड़ लिया गया। इस तरह महिने भी मे 02 से 02.5 लाख रुपया पा जाते है। जिसे हम लोग आपस में बांट लेते है। यही हमारी आजीविका का साधन है।

नाम पता अभियुक्तगण-

1. गुड्डी पत्नी विशाल हरिजन निवासिनी ग्राम लक्ष्मीपुर थाना बढ़हलगंज जनपद गोरखपुर उम्र करीब 25 वर्ष ,

2. आरती पत्नी अजीत हरिजन निवासिनी ग्राम मनिकापुर थाना घोषी जनपद मऊ उम्र करीब 20 वर्ष

3. चांदनी पत्नी रवि निवासिनी ग्राम बेलपार थाना सलेमपुर जनपद देवरिया उम्र करीब 25 वर्ष

4. मंजू पत्नी पिन्टू निवासिनी बेलपार थाना सलेमपुर जनपद देवरिया उम्र 40 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 415/2024 धारा 313 बीएनएस थाना मुगलसराय चन्दौली

5. अमृता पत्नी अरुण हरिजन निवासिनी ग्राम मनिकापुर थाना घोसी जनपद मऊ उम्र करीब 20 वर्ष

1. मु0अ0सं0 40/24 धारा 379/411 भादवि थाना दशाश्मेध जनपद वाराणसी

2. मु0अ0सं0 355/24 धारा 379 भादवि थाना राबर्टसगंज जनपद सोनभद्र

3. मु0अ0सं0 415/2024 धारा 313 बीएनएस थाना मुगलसराय चन्दौली

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम मुगलसराय-

1. प्रभारी निरीक्षक विजय बहादुर सिंह थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।
2. उ0नि0 अभिषेक शुक्ला चौकी प्रभारी जलीलपुर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।
3. उ0नि0 दिलीप कुमार सिंह थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।
4. हे0का0 विपिन गुप्ता थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।
5. हे0का0 अनिल कुमार अंचल थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।
6. हे0का0 शशिकिरन राय थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।
7. म0हो0गा0 कुसुमकला थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 07.10.2024

थाना धानापुर, जनपद चन्दौली

थाना धानापुर पुलिस टीम द्वारा 01 किग्रा 300 ग्राम नाजायज गांजा के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा जनपद चन्दौली में अवैध मादक पदार्थो की बिक्री व तस्करी पर रोकथाम व बिक्री व तस्करी करने वाले अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु दिये गये आदेश निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह, व क्षेत्राधिकारी सकलडीहा रघुराज के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष धानापुर महेश कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 केशव प्रसाद सिंह मय हमराह चेकिंग अभियान के दौरान जरिये मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा सीतापोखरी मन्दिर के पास गुमटी में 01 किग्रा 300 ग्राम नाजायज गांजा की बरामदगी के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना धानापुर पर मु.अ.सं. 169/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है।

पुलिस कार्यवाही-दिनांक 06.10.2024 को उ0नि0 केशव प्रसाद सिंह मय हमराह सीतापोखरी बाजार में था कि मुखबीर से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा सीतापोखरी मन्दिर के सामने गुमटी मे नाजायज गांजा की चोरी छिपे बिक्री कर रहे गुमटी मे बैठे एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया गुमटी में तलाशी के दौरान 01 किग्रा 300 ग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान दुक्खू राम पुत्र स्व0 लक्षन राम निवासी हिंगुतरगढ़ थाना धानापुर जनपद चन्दौली के रुप में हुई। उक्त व्यक्ति के द्वारा बताया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना धानापुर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. दुक्खू राम पुत्र स्व0 लक्षन राम निवासी ग्राम हिंगुतरगढ़ थाना धानापुर जनपद चन्दौली

विवरण बरामदगी-

1. 01 किलो 300 ग्राम नाजायज गांजा
2. 130 रूपये नगद (गांजा बिक्री का)

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु.अ.सं. 169/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना धानापुर जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 केशव प्रसाद सिंह थाना धानापुर
2. हे0का0 संजय सोनकर

प्रेस नोट दिनांक- 07.10.2024

थाना साइबर क्राइम, जनपद चन्दौली

थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा 01 साइबर पीड़ित के कुल 5000 रूपये वापस कराये गये।

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह के निर्देशन में एंव क्षेत्राधिकारी आशुतोष के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष साइबर क्राइम वीरेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में साइबर क्राइम टीम द्वारा साइबर क्राइम के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद चन्दौली के साइबर क्राइम थाना द्वारा की गयी त्वरित कार्यवाही के चलते आवेदक हरेन्द्र यादव पुत्र स्व सकौड़ी यादव निवासी कादिराबाद कमालपुर, सकलडीहा थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली का फ्राड तरीके से 5000/- रुपये की आनलाइन धोखाधडी की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में हरेन्द्र यादव उपरोक्त द्वारा थानाध्यक्ष के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया। इसी क्रम में थाना साइबर क्राइम जनपद चन्दौली द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए आवेदक के खाते से निकाली गयी धनराशि 5000/- रुपये को आवेदक के खातें में वापस करायी गयी।

आवेदक हरेन्द्र यादव उपरोक्त द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय चन्दौली, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय, क्षेत्राधिकारी थाना साइबर क्राइम, साइबर थानाध्यक्ष एवं साइबर क्राइम टीम जनपद चन्दौली का आभार व्यक्त किया।

आवेदक का नाम/पता-

हरेन्द्र यादव पुत्र स्व सकौड़ी यादव निवासी कादिराबाद कमालपुर, सकलडीहा थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली

विवरण बरामदगी-

दिनांक- 06.10.2024 वापस करायी गयी धनराशि रुपया – 5000/-

दिनांक घटना- 06.09.2024

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0 नि0 वीरेन्द्र कुमार (थानाध्यक्ष साइबर क्राइम)

2.हे0का0 सुनील कुमार मिश्रा

प्रेस नोट दिनांक-07.10.2024

(आपरेशन कन्विक्शन)

□श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को दिलाई जा रही सजा।

□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री संदीप कुमार (सिविल जज (सीडि)/एसीजेएम जनपद चन्दौली) द्वारा दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना सैयदराजा के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 02.09.1992 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.मेवा सिंह पुत्र चुहुड़ सिंह निवासी दोहरा थाना दोहरा जिला लुधियाना पंजाब के विरुद्ध अपराध संख्या- 173/1992 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री मनोज कुमार (एपीओ) व थाना सैयदराजा के पैरोकार आरक्षी राजीव प्रजापति की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-07.10.2024 को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री संदीप कुमार (सिविल जज (सीडि)/एसीजेएम जनपद चन्दौली) द्वारा अभियुक्त 1.मेवा सिंह पुत्र चुहुड़ सिंह निवासी दोहरा थाना दोहरा जिला लुधियाना पंजाब को जेल मे बितायी गयी अवधि की सजा व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 30 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।